संख्या- 3/2017/3091/33-3-2016-10जी.आई./2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।

2- जिलाधिकारी, जनपद हाथरस, फिरोजाबाद, चित्रकूट, एटा, महोबा, सम्भल, अमरोहा, मेरठ, हापुड़, शामली, चंदौली, भदोही, सोनभद्र, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, कौशाम्बी, अम्बेडकरनगर, अमेठी, बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीर नगर, सिद्वार्थनगर एवं आजमगढ़।

3- मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उपरोक्त सम्बन्धित जनपद।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी 2017

विषय : राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत जनपद पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी.पी.आर.सी.) की स्थापना एवं संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी को सम्बोधित शासनादेश संख्या-1813/33-3- 2016-10जी.आई./2015, दिनांक 12 जुलाई, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजनान्तर्गत जिला/ मंडल पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी.पी.आर.सी.) की स्थापना हेतु (18 मण्डल एवं 25 जनपद स्तरीय रिसोर्स) स्थल चयन सम्बन्धी आदेश निर्गत किए गए थे।

http://shasnadeshup.nic.in

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि योजनान्तर्गत प्रेषित 43 डी.पी.आर.सी. के प्रस्ताव के सापेक्ष 25 डी.पी.आर.सी. पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में समस्त 25 जनपदों (हाथरस, फिरोजाबाद, चित्रकूट, एटा, महोबा, सम्भल, अमरोहा, मेरठ, हापुड़, शामली, चंदौली, भदोही, सोनभद्र, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, कौशाम्बी, अम्बेडकरनगर, अमेठी, बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीर नगर, सिद्वार्थनगर एवं आजमगढ़) में डी.पी.आर.सी. संचालन हेतु आवर्ती लागत (रिकरिंग कॉस्ट) के रूप में रू. 10 लाख प्रतिवर्ष अवमुक्त किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। विदित है कि उक्त रूप से अनुमोदित 25 सेंटर उन्हीं जनपदों में संचालित किए जाने है जहॉ पर एस0आई0आर0डी0 द्वारा किसी आर0आर0आई.डी0 अथवा डी0आई0आर0डी0 का संचालन नही किया जा रहा है।

अत: उक्त के सम्बन्ध में आर0जी0पी0एस0ए0/आर0जी0एस0ए0 योजनान्तर्गत प्रदेश में जनपद पंचायत रिसोर्स सेंटरों (डी0पी0आर0सी0) के सफल संचालन हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि -

क) पंचायतों के समेकित विकास में प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन की अहम् भूमिका के दृष्टिगत मण्डल के पत्रांकित जनपदों में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में 'मण्डलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन समिति' का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

1.	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2.	मण्डलीय संयुक्त विकास आयुक्त,	सदस्य
3.	जिलाधिकारी, संबंधित जनपद	सदस्य
4.	मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), संबंधित मण्डल	सदस्य सचिव
5.	मंडल के समस्त जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य

- संबंधित जनपदों में 25 डी0पी0आर0सी0 का संचालन जनपद के सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं.) के माध्यम से 'मण्डलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन

http://shasnadeshup.nic.in

समिति' द्वारा किया जाएगा। यह सेंटर, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान(प्रिट), लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ की विस्तारित इकाई के रूप में कार्य करेंगें।

- डी0पी0आर0सी0 का संचालन, समिति द्वारा आंवटित किसी सरकारी भवन अथवा सरकारी भवन की अनुपलब्धता की दशा में किराए के भवन में किया जा सकेगा। किराए के भवन लेने की दशा में आवर्ती लागत (रिकरिंग कॉस्ट) का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से लिए जाने वाले किराए के भवन हेतु यह अवश्य ध्यान में रखा जाए कि प्रशिक्षण हेतु चयनित भवन में कम से कम एक से दो प्रशिक्षण/लेक्चर हॉल, 2 कार्यालय कक्ष, महिला/ पुरूष शौचालय, कम्प्यूटर कक्ष आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो।
- डी0पी0आर0सी0 के संचालन सम्बंधी समस्त व्यय (यथा भवन किराया, नियमानुसार, फैकल्टी का मानदेय, प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में आवश्यक उपकरण, कम्प्यूटर, इण्टरनेट एवं फोन, प्रशिक्षण सामग्री तथा अन्य विविध व्यय/क्रय) आदि के व्यय हेतु मंडलीय उपनिदेशक(पं0) को अधिकृत किया जाता है।
- केन्द्र सरकार से जनपद पंचायत रिसोर्स सेंटरों (डी0पी0आर0सी0) के संचालन हेतु वर्ष 2016-17 में आवर्ती लागत (रिकरिंग कॉस्ट) के रूप में प्राप्त धनराशि रू. 10 लाख को मंडल स्तर पर मंडलीय उपनिदेशक(पं0), के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में नए खोले गए अथवा उपलब्ध खाते में हस्तान्तिरत किया जाएगा। सम्बन्धित मंडलीय उपनिदेशक(पं0), द्वारा डी0पी0आर0सी0 के प्राचार्य का भी पदभार ग्रहण किया जाएगा, इसके लिए पृथक से कोई पद सृजन नही किया जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त आवर्ती धनराशि का प्रयोग डी0पी0आर0सी0 के संचालन हेतु किया जाएगा।

ख) मंडलीय समिति के दायित्व-

1. गठित मंडलीय समिति, आर0जी0पी0एस0ए0/ ग्राम पंचायत विकास योजना, पंचायती राज विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के साथ अन्य विभागों से भी सम्बन्धित मण्डल स्तर पर कराए जा रहे समस्त प्रशिक्षण कार्यो के अनुश्रवण एवं आवश्यकतानुसार क्रियान्वयन करेगी।
2. मंडल स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के संचालन में होने वाले व्यय का अनुमोदन समिति की बैठकों में सदस्य सचिव द्वारा कराया जायेगा।
3. इस प्रकार से विभागीय अथवा गैर विभागीय प्रशिक्षण कार्यो एवं भवन के उपयोग हेतु दरों का निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण से अर्जित आय उपनिदेशक(पं0), के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में नए खोले गए अथवा उपलब्ध खाते

http://shasnadeshup.nic.in

में हस्तान्तिरत की जाएगी जिसका व्यय मंडलीय समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

4. प्रशिक्षण के अतिरिक्त समिति मण्डल स्तर पर अपने अधीन जनपदों की ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया एवं प्लान अपलोड कराने हेतु अनुश्रवण की भी उत्तरदायी समिति होगी।
5. योजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार मंडल एवं जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों से समन्वयन हेतु समिति उत्तरदायी होगी।
6. समिति की साल में न्यूनतम एक बैठकें अनिवार्य होगी, बैठक का कोरम 1/3 अनिवार्य होगा।

- <u>जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर के संचालन हेतु अधिकारियों/ कर्मियों की व्यवस्था-</u>

क्र0	पदनाम	विभाग	शैक्षणिक योग्यता एवं सम्बन्धित विवरण	मानदेय (सर्विस चार्ज एवं अन्य शुल्क अतिरिक्त से)
1.	प्राचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र	विभागीय (मंडलीय उपनिदेशक(पं0), सम्बन्धित जनपद)	-	-
2.	वरिष्ठ फैकल्टी एवं सह प्रबंधक	(मंडलीय समिति आउटसोर्सिंग के माध्यम से)	एम0बी0ए0/ एम0एस0डब्लू/ सोशल सांइस में परास्नातक के साथ प्रशिक्षण एवं प्रबंधकीय कार्यो का कम से कम 6 साल के अनुभव के साथ कम्प्यूटर का ज्ञान, पंचायती राज विभाग के साथ कार्य अनुभव को प्राथमिकता अथवा उपनिदेशक(पं0)/ जिला पंचायत राज	रू0 35,000/- माह एक मुश्त

http://shasnadesh.up.nic.in

			अधिकारी के पद से से0नि0। आयुसीमा अधिकतम 65 वर्ष।	
3.	चपरासी/कार्यालय सहायक	(मंडलीय समिति आउटसोर्सिंग के माध्यम से)	आठवीं उत्तीर्ण अथवा आयु अधिकतम 60 साल।	रू0 6,000/- माह एक मुश्त

- उक्त रूप से संविदा कर्मियों का कार्यकाल 01 साल तक होगा जिसको राज्य एवं भारत सरकार से प्राप्त सहयोग के अनुसार विस्तारित किया जा सकेगा। उक्तानुसार अहर्ताओं का पालन करते हुए संविदा कर्मियों के चयन/नियुक्ति हेतु मंडलीय समिति उत्तरदायी होगी।
- डी0पी0आर0सी0 में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संविदाकर्मियों यथा- फैकल्टी या कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं लेने हेतु मंडलीय समिति, धनराशि की उपलब्धता होने पर विचार कर सकती है।

चूंकि डी0पी0आर0सी0 के संचालन हेतु धनराशि आर0जी0पी0एस0/ आर0जी0एस0 योजना से प्रदान की जा रही है अत: योजनान्तर्गत गठित कार्यकारी समिति के अध्यक्ष/ निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 के निर्देशों के अनुरूप इसका संचालन एवं अनुश्रवण निदेशक, पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ सुनिश्चित् करेंगें।

इस प्रकार से डी0पी0आर0सी0 के संचालन हेतु प्रतिवर्ष प्राप्त धनराशि का व्यय एवं उपभोग प्रमाण-पत्र निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशक, पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को समान रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

अत: उक्त रूप से निर्गत निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए समस्त 25 जनपदों में तत्काल प्रभाव से प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

संख्या- (1)/33-3-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
2. मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन।
5. निदेशक, पचांयती राज विभाग, उ0प्र0।
6. निदेशक, पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान(प्रिट), अलीगंज, लखनऊ, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।
10. पृथक से मंडलीय उपनिदेशक(पं0), फैजाबाद मंडल एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद अम्बेडकरनगर को इस आशय के साथ ही प्रशिक्षण हेतु जनपद में निर्मित लोहिया भवन ही पंचायती राज विभाग के डी0पी0आर0सी0 के रूप में कार्य करेगा एवं मंडलीय उपनिदेशक(पं0), फैजाबाद द्वारा स्वयं के दायित्वों के साथ डी0पी0आर0सी0, प्राचार्य पद के दायित्वों का भी निर्वहन किया जाएगा।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in